OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION KORBA
SAKET BHAVAN, I.T.I CHOUKE KORBA (C.G.)
Tel : 221288,222672 Fax : 07759-221929 P.O.N.- 12 Pin code- 495677
Webside : www.korbamunicipal.in, Email : mck.helthsection @gmail.com

F. No..../SBM./06/2015 110504

Korba, dated..25.7.15

Expression of Interest for Construction of Individual Toilets

Korba Municipal corporation invites Expression of Interest from eligible NGOs/ Contractors/SHGs /Unemployed engineers/unorganized group of janitors for construction of individual toilets in the Municipal corporation korba. The toilets will have to be constructed according to the standard designs, drawing and within the standard cost-structure as per the prescribed guidelines. Details of eligibility norms, terms and conditions of the scheme are given in the Guidelines available on payment of Rs. 1000.00 (Rupees One Thousand Only) by cash in the Municipal office municipal corporation korba.Also available in www.korbamunicipal.in. last date for submission of the by regd/Speed post EOI is on (date) 18-08-2015 up to 3.00 P.M.

commissioner
municipal corporation
korba(C.G.)

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

निजी शौचालय निर्माण हेतु जारी रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) प्रारूप के संबंध मे स्कोप ऑफ वर्क,नियम एवं शर्ते

1. परियोजना परिचय :–

स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार की जनउपयोगी अति महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी परियोजना है। परियोजना के घटको के अन्तर्गत खुले मे शौचमुक्त शहर विकसित करना इस मिशन के मुख्य उददेश्य मे से एक है। छत्तीसगढ शासन एवं नगरीय निकायो द्वारा इस मिशन को पूर्ण करने के उददेश्य से हर घर शौचालय निर्माण हेतु शहरी क्षेत्र मे सर्वेक्षण कर संभावित हितग्राहियो की पहचान की गई है एवं दिनांक 02 अक्टूबर 2019 तक खुले मे शौच से मुक्त छत्तीसगढ की परिकल्पना की गई है।

इस उददेश्य की पूर्ति हेतु नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा क्रमांक ..... दिनांक ..... को रूचि की अभिव्यक्ति प्रकाशित करते हुए संभावित निर्माण सेवा प्रदाता (एजेन्सी) द्वारा दिनांक ..... तक प्रस्ताव आमंत्रित किये गए है। प्राप्त प्रस्तावो के आंकलन ,संभावित एजेंसी के कार्य,निजी शौचालय निर्माण कार्य से संबंधित प्रशासकीय एवं तकनीकी नियम/शर्ते आदि की जानकारी प्रदान करते हेतु इस दस्तावेज को जारी किया गया है।

2. प्रस्तावित निर्माण कार्य का विवरण :–

2.1 स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निजी शौचालय निर्माण हेतु निकाय द्वारा रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से एजेन्सी का चयन कर सूचीबद्ध (Empanelled) किये जायेगें।

2.2 निकाय द्वारा चयनित निर्माण एजेन्सी को हितग्राही के निवास ईकाई (Dwelling Unit) मे निर्धारित तकनीकी मानदण्डो के अनूरूप निजी शौचालय निर्मित करने होगें इस हेतु निर्धारित तकनीकी मानदण्ड,ड्राइंग– डिजाईन आदि संलग्नक–अ मे संलग्न है।

2.3 निजी शौचालय निर्धारित तकनीकी मानदण्ड,ड्राईग–डिजाईन अनुसार अधिकतम निर्माण हेतु लागत रू. 19,200/– होगी।

2.4 निर्माण कार्य शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं नगरीस प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन हेतु समय–समय पर जारी दिशा निर्देशो के अनुरूप संपादित कराये जावेगें। छत्तीसगढ शासन द्वारा इस हेतु निर्देश क्र. एफ 5–3 /18/2015 दि. 13.02.2015 को जारी किये गए है। सुलभ–संदर्भ हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देश एवं छत्तीसगढ शासन के निर्देश स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट **http://swachhbharaturban.gov.in** एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की वेबसाइट **http://www.uad.cg.gov.in** मे प्रकाशित किये गए है।

2.5 उपरोक्त कंडिका मे निर्धारित मानक दर प्रति शौचालय अधिकतम रू.19,200/– होगी।

2.6 निकाय के सभी प्रभारी अभियंता द्वारा निर्माण स्थल के तकनीकी आवश्यकता के अनुरूप शौचालय का प्रकार निर्धारित किया जावेगा। कार्यादेश मे शौचालय का प्रकार अंकित होगा।

3. एजेंसी चयन एवं सूचीबद्ध करने के संबंध मे नियम एवं शर्ते :–

3.1 एजेंसी का लोक निर्माण विभाग मे न्यूनतम डी श्रेणी का जीवित पंजीयन अनिवार्य है।

3.2 अशासकीय संगठन (एन.जी.ओ.) छ.ग. शासन के आदेश क्र. 4559/3835/18/2004 दिनांक 22.09.2014 के अनुसार निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले होने चाहिए। इन्हे 3.1 के अनुसार लोक निर्माण विभाग मे पंजीयन की आवश्यकता नही है।

3.3 अन्य समिति /असंगठित स्वच्छता कर्मी के समूहो /स्वसहायता समूह बेरोजगार इंजिनियर आदि छ.ग. फर्म्स एवं सोसायटी के अन्तर्गत पंजीकृत होने चाहिए। इन्हे 3.1 एवं 3.2 की शर्तो को पूर्ण करने की आवश्यकता नही है।

3.4 निकाय द्वारा रूचि की अभिव्यक्ति की जांच उपरांत उपरोक्त कंडिका क्र. 3.1,3.2 एवं 3.3 के अनुसार शर्तो को पूर्ण करने वाले एजेंसी को प्रतिबद्धता पत्र करने हेतु सूचित किय जावेगा प्रतिबद्धता पत्र का प्रारूप अनुलग्नक –ब मे संलग्न है।

3.5 प्रतिबद्धता पत्रहस्ताक्षरित करने वाले एजेंसी को निकाय मे कार्य करने हेतु सूचीबद्ध किया जावेगा।

3.6 आवश्यकतानुसार अन्य एजेंसियो को कार्य हेतु सूचीबद्ध किया जा सकेगा।

4. सूचीबद्ध एजेंसी हेतु समझौते के मसौदे की वैधता :–

4.1 संदर्भित रूचि की अभिव्यक्ति मे सूचीबद्ध एजेंसी की प्रतिबद्धता पत्र की वैधता मिशन कार्यकाल तक होगी।

4.2 निकाय या निकाय द्वारा नियुक्त एजेंसी सूचीबद्ध एजेंसियो के कार्य की गुणवत्ता की सतत समीक्षा एवं निगरानी करेगा। एजेंसी के कार्य की गुणवत्ता एवं क्रिया प्रणाली मानक स्तर पर नही पाये जाने पर प्रतिबद्धता पत्र निरस्त करने हेतु निकाय एकपक्षीय कार्यवाही करने हेतु सक्षम होगी।

5. लाटरी के माध्यम से कार्य का आबंटन,कार्यादेश,कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य पूर्ण करने की समय–सीमा :–

5.1 सूचीबद्ध एजेसियो का लाटरी के माध्यम से क्रम निर्धारण :–

5.1.1 कंडिका क्र 3.5 के अनुरूप सूचीबद्ध एजेंसियो का लाटरी के माध्यम से क्रम निर्धारण किया जावेगा।

5.1.2 लाटरी का चयन निकाय द्वारा गठित 03 सदस्यीय समिति द्वारा किया जावेगा।

5.2 लाटरी द्वारा एजेंसी का क्रम निर्धारण हेतु समिति मे निम्नानुसार सदस्य होगें।

1. आयुक्त /मुख्य नगर पालिका अधिकारी – अध्यक्ष
2. निकाय के वरिष्ठतम अभिंयंता – सदस्य
3. लेखाधिकारी /लेखा प्रभारी – सदस्य

5.3 एजेंसी का क्रम निर्धारण कार्य आबंटन की सुनिश्चितता नही होगी ।

5.4 लाटरी प्रकिया से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति मे आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

5.5 कार्य का आबंटन क्रमवार 50–50 निजी शौचालय के लाट मे किया जावेगा।

5.6 सूचीबद्ध समस्त एजेंसी को न्यूनतम एक बार कार्य आबंटन के उपरान्त चक्रानुक्रम मे कार्य आबंटित किये जावेगे।

5.7 कार्य आबंटन सूचना प्राप्ति के उपरान्त एजेंसी द्वारा निकाय के साथ कार्य अनुबंध करते हुए,कार्य आदेश जारी किये जावेगें।

5.8 कार्य आबंटन की सूचना प्राप्ति के उपरान्त 07 दिवस मे अनुबंध नही करने की स्थिति मे अगले क्रम की एजेंसी को कार्य आबंठित किये जायेगें। एवं भविष्य मे मिशन अंतर्गत कार्य करने से अपात्र घोषित किया जावेगा।

5.9 अनुबंध के समय एजेंसी द्वारा कार्य की अमानत राशि रू.10,000/– टीडीआर/एफडीआर के रूप मे जमा करना होगा। कंडिका क्र. 3.2 के अनुसार अर्हताधारी अशासकीय संगठन को अमानत राशि मे छूट प्रावधानित है। साथ ही 3.3 के अनुसार सूचीबद्ध एजेंसी को छ.ग. शासन द्वार स्वच्छ भारत मिशन हेतु जारी दिशा निर्देश क्र. एफ 5–3/18/2015 दिनांक 13.02.2015 की कंडिका 7 की उप कंडिका 4 अनुसार अमानत राशि मे छूट प्रदान की जावेगी।

5.10 किसी अधिसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी स्थानीय स्तर पर देय टीडीआर/एफडीआर ,आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नामे जमा किया जाना होगा।

5.11 अनुबंध उपरान्त हितग्राही के नाम की सूची के साथ कार्यादेश निकाय द्वारा जारी किये जावेगें।

5.12 कार्यादेश जारी करने की तिथि से एजेसी को 120 दिन की समय सीमा मे कार्य पूर्ण करना होगा। अन्यथा की स्थिति मे 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से अधिकतम 6 प्रतिशत तक कम्पेनसेशन फॉर डिले के रूप म कटौती की जावेगी।

5.13 कार्य पूर्ण करने की अवधि मे परिवर्तन करने का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर के पास सुरक्षित रहेगा ।

6. देयक तैयार करना एवं भुगतान की प्रकिया :–

6.1 नियमानुसार एजेंसी द्वारा देयक प्रस्तुत करने के उपरांत निकाय में प्रचलित विहित प्रकिया का अनुसरण करते हुए भुगतान किया जावेगा।

6.2 निकाय का निर्माण मानक ड्राइंग–डिजाइन के मानकों के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।

6.3 पर्याप्त स्थान की उपलब्धता नहीं होने पर या अन्य व्यवहारिक कारणों से शौचालय मानक से छोटे निर्मित होने पर निर्मित क्षेत्रफल के समानुपातिक कटौती की जावेगी।

6.4 निर्धारित मानक से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित शौचालय हेतु अतिरिक्त लागत का भुगतान नहीं किया जावेगा।

6.5 समस्त भुगतान एजेंसी के खाते में स्वच्छ भारत मिशन के दिशा–निर्देश अनुरूप किये जावेगें।

6.6 एजेंसी के चल देयक भुगतान में प्रति देयक से 5 प्रतिशत की दर से सुरक्षा निधि एवं 1 प्रतिशत कर्मकार कल्याण उपकर की कटौती की जावेगी। देयक में से निर्धारित नियमानुसार आयकर,वाणिज्यकर,कर्मकार कल्याण उपकर, रायल्टी आदि की कटौती की जावेगी।

6.7 20 शौचालय पूर्ण होने पर ही प्रथम चल देयक एवं 40 शौचालय पूर्ण होने पर द्वितीय चल देयक तथा 50 शौचालय पूर्ण होने पर अंतिम देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे।

6.8 किसी भी प्रकार के अग्रिम का भुगतान नहीं किया जावेगा।

6.9 निकाय द्वारा विभिन्न वार्डो में स्वीकृत योजना अंतर्गत अनुमोंदित हितग्राहियों की सूची अनुसार निजी शौचालय का निर्माण निर्धारित धनराशि (प्रति ईकाई अधिकतम निर्माण लागत रूपये 19200/– की सीमा में ही किया जावेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।

7.अन्य शर्तें :–

7.1 एजेंसी के कलेक्टर द्वारा जारी न्यूनतम दर पर श्रमिकों को भुगतान करना होगा।

7.2 एजेंसी को श्रम विभाग,खनिज विभाग,वाणिज्यकर,आयकर आदि विभागों के नियम एवं शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

7.3 नियमानुसार एजेंसी 100 प्रतिशत फ्लाईएस ईंटों का उपयोग सुनिश्चित करना होगा।

7.4 सफल रूचिदाता को निर्माण कार्य प्रारंभकरने के पूर्व प्रस्तावित स्थल को फोटोग्राफ्स निर्माण कार्य प्रारंभप करने के बाद चल देयक प्रस्तुत करते समय एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात कार्य की स्थिति संबंधित फोटोग्राफ्स निकाय में आवश्यकतानुरूप प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमसें वार्ड क्रमांक,हितग्राही का नाम एवं कार्य का नाम अंकित हो।

7.5 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत 1 प्रतिशत राशि की कटौती निर्माण कार्य के प्रस्तुत होने वाले देयकों से की जावेगी।

7.6 छ.ग. शासन का पत्र क्र. 243/वि.नि./ चार/2013 नया रायपुर दि.06 जुलाई 2013 के निर्देशानुसार राज्य के प्रोक्युरमेंट एवं कार्य संबंधी सत्यनिष्ट संधि का पालन करे।

7.7 सफल रूचिदाता को श्रम नियम/अधिनियमो का पालन करना अनिवार्य होगा।

7.8 एजेंसी को शौचालय की दीवालो निर्धारित रंग से पोताई करना होगा तथा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निर्मित स्वच्छ भारत मिशन को निम्नानुसार पेन्ट से लिखना होगा।

हितग्राही का नाम .....

हितग्राही की क्रम संख्या .....

वार्ड क्र. .....

नगर पालिक निगम कोरबा

8. रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने की प्रकिया :–

8.1 रूचि की अभिव्यक्ति एजेंसी के छपे हुए लेटर पेड मे अधिकृत हस्ताक्षरार्थ द्वारा प्रस्तुत की जावेगी।

8.2 सशर्त रूचि की अभिव्यक्ति स्वीकार नही होगी।

8.3 रूचि की अभिव्यक्ति के साथ संबंधित एजेंसी का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक अनुषांगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे। प्रतिबद्धता प्रमाण पत्र कारित करते समय मुल दस्तावेजो को परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, कोरबा,
जिला – कोरबा (छ. ग.)

संस्था के लेटर हेड मे टंकित सह हस्ताक्षरित

प्रतिबद्धता प्रमाण पत्र

प्रति

आयुक्त
नगर पालिक निगम कोरबा
जिला कोरबा

विषय :– **स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निजी शौचालय निर्माण हेतु एजेंसी सूचीबद्धता के संबंध मे प्रतिबद्धता हेतु।**

संदर्भ :– **निकाय द्वारा जारी ईओआई क्र. ..... दि. .....**

आदरणीय महोदय,

एतद् द्वारा विषयांतर्गत जारी संदर्भित ईओआई की प्रकिया मे हमारी फर्म/संस्था /सोसायटी को सूचीबद्ध करने का कष्ट करेगें। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत समय समय पर भारत सरकार एवं छत्तीसगढ शासन द्वारा जारी समस्म निर्देशो का हमारी फर्म/संस्था/सोसायटी द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा।

हमारे द्वारा निजी शौचालय निर्माण कार्य हेतु जारी रूचि के अभिव्यक्ति के समस्त नियम एवं शर्ते को मानने की प्रतिबद्धता दी जाती है। लाटरी के आधार पर कार्य आबंटन के समय हमारे द्वारा आवश्यक अमानत राशि जमा की जायेगी एवं सूचना प्राप्ति उपरांत अनुबंध कारित किया जावेगा।

सधन्यवाद

भवदीय
अधिकृत हस्ताक्षरार्थ
.....
मो.नं.:– .....
ईमेल :– .....
पता :– .....

स्थान :– .....
दिनांक :– .....
निविदा प्रपत्र का मूल्य रू.1000/– नगद
रसीद क्र. .....दिनांक .....
से भुगतान कर प्राप्त किया गया है।
(रसीद की प्रति संलग्न)